झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक 14 फाल्गुन, 1935 (श0) / 05 मार्च, 2014 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(185)-अ0सू0-28		श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	कचड़ा यार्ड हटाना।	नगर विकास	24.02.14
(186)-अ0सू0-27		श्री कमल किशोर भगत	पंचायती राज अधिनियम की धारा को लागू कराना।	पंचायती राज	24.02.14
(187)-अ0सू0-26		श्री बंधु तिर्की	योजनाओं की उच्चस्तरीय जाँच।	ग्रामीण विकास	21.02.14
(188)-अ0सू0-06		श्री बन्ना गुप्ता	लंबित कर्यो को पूर्ण कराना।	ग्रामीण कार्य	17.02.14
(189)-अ0सू0-12		श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	आदेश का अनुपालन।	ग्रमीण कार्य	18.02.14
(190)-अ0सू0-29		श्री सौरभ नारायण सिंह	राशि का आवंटन।	पंचायती राज	28.02.14

रॉंची
दिनांकः-05 मार्च, 2014 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्याः- 1031 /वि0स0, रॉंची, दिनांकः- 03 मार्च, 2014 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/14
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्याः- 1031 /वि0स0, रॉंची, दिनांकः- 03 मार्च, 2014 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/14
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

गोपी/

185

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न सं0-28 का उत्तरः-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची शहर स्थित नागा बाबा खटाल राजभवन के बगल में अवस्थित है;	स्वीकारात्मक है ।
2.	क्या यह बात सही है कि नागा बाबा खटाल को नगर निगम, राँची का कचरा यार्ड बना दिया गया है, जिसके कारण उक्त आवासीय क्षेत्र पूर्णरूप से प्रदूषित हो गया है एवं आने जाने वाले को भी दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है । सफाई कार्य हेतु निगम के चयनित फर्म मेसर्स A2Z द्वारा कचड़ा गिराया जाता था, जिसे अब उठाकर झिरी डम्पींग यार्ड ले जाया जा रहा है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नागा बाबा खटाल से कचरा यार्ड हटाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम द्वारा तीन-चार दिनों के अन्दर कचड़ा पूर्ण रूप से उठाकर झिरी पहुँचा दिया जायेगा ।

पत्रांक-3/न0वि0/विधानसभा(अल्प-सूचित)-12/2014..................

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक-.....936.... राँची, दिनांक-...28-02-14...

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक-865 दिनांक-24.02.14 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.2.14

सरकार के अवर सचिव ।

186

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 05.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 27 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की धारा 243 (G) के तहत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न 29 विषयों पर शक्तियाँ और प्राधिकार नहीं सौंपे गये हैं ?	अस्वीकारात्मक है । 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन 09 विभागों के द्वारा यथा – कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, पशुपाल एवं मत्स्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, जल संसाधन विभाग एवं उद्योग विभाग अपने संकल्प से की गई है ।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 में कमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसका कियान्वयन अब तक राज्य में नहीं किया गया है ?	अस्वीकारात्मक है । झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 में कमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं एवं इससे संबंधित कृत्य पचांयतों द्वारा किए जा रहे हैं । पंचायतों को शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कर आमजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 को संवैधानिक मापदण्डों के अनुसार राज्य में लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–53 / 2014–629 /, राँची, दिनांकः–4/3/14

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 667 दिनांक 24.02.2014 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/14.
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0)–53 / 2014–629 /, राँची, दिनांकः–4/3/14

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

4/3/14.
सरकार के अवर सचिव

लंबित कार्यों को पूर्ण कराना ।

188 श्री बन्ना गुप्ता--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गाँवों को सड़कों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) के अन्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पथ निर्माण का कार्य किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम में (पी०एम०जी०एस०वाई०) के तहत् 208 योजना लंबित है;

(3) क्या यह बात सही है कि कई योजनायें विगत चार-पाँच वर्षों में पूरी नहीं हो सकी है तो कई योजना में घटिया निर्माण कार्य किये जाने की शिकायतें आयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत् किये गये कार्यों की जाँच कराते हुए लंबित कार्यों को समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

PMGSY के तहत् कुल 155 योजनायें लम्बित है ।

(3) स्वीकारात्मक ।

चार-पाँच वर्षों से लंबित योजनाओं की सूची कारण सहित अलग से संलग्न है । जहाँ तक योजना में घटिया निर्माण कार्य किये जाने का प्रश्न है, पी०एम०जी०एस०वाई० में त्रिस्तरीय गुणवत्ता जाँच का प्रावधान है । प्रायः सभी योजनाओं की जाँच कर संतोषजनक पाये जाने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है ।

(4) लंबी अवधि की लंबित 155 योजनाओं में से 142 योजना का क्रियान्वयन एन०पी०सी०सी० के द्वारा कराया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए एन०पी०सी०सी० ने मई 2014 तक समय निर्धारित किया है । विभाग द्वारा भी बिना विवाद वाले पथों को मई तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जहाँ तक जाँच का प्रश्न है पी०एम०जी०एस०वाई० की योजनाओं का त्रिस्तरीय जाँच का प्रावधान है । जाँच में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर संवेदक द्वारा उसे पुनः सुधारा जाता है एवं सुधार प्रतिवेदन एन०आर०आर०डी०ए० से अनुमोदित होने के पश्चात् ही योजना पूर्ण मानी जाती है ।

189

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.14 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में कनीय संवर्ग स्तर के अभियंताओं को वरीय संवर्ग स्तर के नियमित पद का प्रभार दिया गया है;	स्वीकारात्मक। विभाग में वरीय अभियंताओं की कमी के कारण कार्यहित में वरीय पदों का प्रभार नियमित अभियंताओं की सेवा पथ निर्माण विभाग से प्राप्ति की प्रत्याशा में दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि विधि विभाग द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के डब्लू0पी0 एण्ड–2709/2011 में पारित आदेश के आलोक में नियमित पदों पर प्रभारी नियुक्त नहीं करने से संबंधित पत्र सं0–2192/जे0, दिनांक–06.09.2011 सभी विभागीय सचिवों को उपलब्ध करा दिया गया है, फिर भी पारित आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। विधि विभाग द्वारा निर्गत पत्र नियमित पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। विभाग द्वारा कार्यहित में कार्यपालक अभियंता की सेवा प्राप्ति की प्रत्याशा में सहायक अभियंता को रिक्ति के आधार पर अस्थायी प्रभार दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–11 में वर्णित पत्र का सख्ती से अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–290/14 ग्रा0का0वि0 859 राँची/दिनांक– 04-03-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–428, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–290./14 ग्रा0का0वि0 859 राँची/दिनांक– 04-03-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

04/3/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–290/14 ग्रा0का0वि0 859 राँची/दिनांक– 04-03-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

04/3/14
सरकार के अवर सचिव।